निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 215/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. लालचन्द पुत्र श्री महादेव जाति मीणा निवासी बाढ बलदेवपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर ।
2. गंगाराम पुत्र श्री श्योचन्दा
3. गोपी पुत्र श्री श्योचन्दा
4. छीतर पुत्र श्री कल्याण

समस्त जाति मीणा निवासियान बाढ बलदेवपुरा, तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रकरण ब उनवानी गंगासहाय बनाम गंगाराम को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामधन चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, व 4 की ओर ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 10.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण ब उनवानी गंगासहाय बनाम गंगाराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां उनवानी गंगासहाय बनाम गंगाराम मुकदमा नं. 244/2017 दिनांक 23.02.2018 को राजस्व अपील अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को रिमाण्ड कर दिया था। जिस बाबत उक्त प्रकरण अभी विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण के प्रभाव में आकर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने मनचाही तारीख पेशी व उक्त पत्रावली पर मनमानी कार्यवाही कर रहे है। उक्त पत्रावली में न्यायालय द्वारा प्रार्थी को हैरान व परेशान करने के लिए 7–7 दिन की तारीख पेशी दी जा रही है तथा तारीख पेशी पर किसी भी प्रकार की मनचाही कर आगामी तारीख पेशी दी जाती है। उक्त प्रकरण की पत्रावली को बिना बहस व बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही निस्तारण करने पर आमादा है, जिस कारण से उक्त प्रकरण की पत्रावली को अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी को अप्रार्थीगण धमकियां दे रहे है कि हम जल्दी ही उक्त प्रकरण को बिना बहस ही फैसल

जिला कलक्टर
जयपुर

करवा लेंगे और तुम्हें खबर तक नहीं होने देंगे तथा मौके पर कब्जा कर लेंगे । पीठासीन अधिकारी महोदय हमारे प्रभाव में है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामधन चौधरी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि दावा राजस्व अपील अधिकारी से रिमाण्ड होकर उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन है। जबकि विपक्षी अधिवक्ता का कहना है कि प्रकरण पैमाईश से संबंधित है और काफी पुराना है। प्रार्थी द्वारा अनावश्यक विलम्ब करने की गरज से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पैमाईश से संबंधित प्रकरण होने की पुष्टि में अप्रार्थी अधिवक्ता ने दस्तावेजात मय सूची पेश किये है। प्रकरण पुराना होने से नजदीकी तारीख पेशिंया दी जा रही है।

5. उभय पक्ष अधिवक्ता की दलीलें सुनने एवं सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। चूंकि प्रकरण पैमाईश से संबंधित है जिसमें संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा ही अनुतोष प्रदान किया जा सकता है। अतः अन्य उपखण्ड अधिकारी को प्रकरण स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

6. उपखण्ड अधिकारी चाकसू को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 10.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

10/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर